उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्या–सा–3–235 / दस–2006–301 / 2000
लखनऊ : दिनॉक : 28 मार्च, 2006

कार्यालय – ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों आदि को महॅगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय – ज्ञाप संख्या–सा– 3–1743 / दस–2005–301 / 2000, दिनॉक 17 अक्टूबर, 2005 जिसके द्वारा महॅगाई राहत की एक किश्त 01 जनवरी, 2005 से स्वीकृत की गयी थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय द्वारा औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस बीच हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय–ज्ञाप दिनॉक 17 अक्टूबर, 2005 में उल्लिखित दरों का संशोधन करते हुए 01 जुलाई, 2005 से महॅगाई राहत की 04 प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– पेंशनरों को अनुमन्य महॅगाई राहत में दिनॉक –01 जुलाई, 2005 से 04 प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप कार्यालय – ज्ञाप संख्या–सा –3–1517 / दस–2005– 308 / 2004, दिनॉक 22 सितम्बर, 2005 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या– सा– 3– 1746

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3
N0-sa-3-235/X-2006-301/2000
Dated:Lucknow: 28 March,2006

Office - Memorandum

Subject-Grant of Dearness Relief to State Government's civil / Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to the office memorandum N0. sa-3-1743/X-2005-301/2000 dated October 17, 2005 on the subject mentioned above, sanctioning an instalment of dearness relief with effect from January 01,2005 and to say that with effect from July 01, 2005 the Governor is pleased to further enhance by 04 percent the rate of dearness relief admissible to all civil / family pensioners of this Government to compensate them for the rise, in the meanwhile, in the average consumer price index.

2- As a consequence of the above-mentioned 04 percent rise in the dearness relief and with the conversion of dearness relief equal to 50 percent of the pension into dearness pension vide office

/दस– 2005 – 308 / 2004, दिनॉक 02 दिसम्बर, 2005 तथा कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–151/दस–2006, दिनॉक 31 जनवरी, 2006 के माध्यम से दिनॉक 01–04–2004 से पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर महॅगाई राहत, महॅगाई पेंशन के रूप में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण पेंशन तथा महॅगाई पेंशन के योग पर अनुमन्य महॅगाई राहत की वर्तमान 17 प्रतिशत की दर बढ़कर 21 प्रतिशत हो जायेगी।

memorandum N0.sa-3-1517/X-2005- 308 / 2004, dated 22 September, 2005, N0.sa-3-1746/X-2005-308/2004,dated December 02, 2005 and N0.sa-3-151-2006-308/2004,dated January 31, 2006, the rate of dearness relief payable on the sum of pension and dearness pension will rise from existing 17 to 21 percent with effect from 01-07-2005.

3– महॅगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज़ कर दिया जायेगा, जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

3- In the calculation of dearness relief, fraction of a rupee less than its half shall be ignored while half or more shall be counted as one rupee.

4– यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, employees of local bodies and public undertakings / corporations etc. in respect of whom separate orders will be issued by respective departments.

5– यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5- These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of institutions aided from State Fund under the education / technical education departments, whose pension / family pension is at par with that of the pensioners of the State Government.

6– शासन के कार्यालय – ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस–10(3)–81, दिनॉक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार – पत्र की आवश्यकता नही है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों द्वारा इस कार्यालय – ज्ञाप के अन्तर्गत ही अनुमन्य महॅगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6- As per orders issued in O.M.No.A - 1 - 252 / X- 10 (3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General's authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief shall be made by the concerned pension disbursing authorities on the basis of this office memorandum alone.

7– महॅगाई राहत स्वीकृति करने के संबंध में अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

7- Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as before.

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव–।।

(Manjit Singh)
Principal Secretary-II

सेवा में,

उ0प्र0 शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

To,

All principal secretaries / secretaries to Government of Uttar Pradesh, heads of departments / offices, all treasury officers and other officers as per previous distribution list.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 129 सा० वित्त–(3482)–15,000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।